उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या : /XX–4/2018–1(06)/2013
देहरादून : दिनांक 15 मई, 2018

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–1209/बीस–4/2017–1(6)/2013, दिनांक 04.12.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गयी है। नियमावली के नियम–1(4)(ख), 3(1), 5(2), 7(1) एवं 7(2)(4) में किये गये प्राविधानो के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाना है :–

1. उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 के नियम 1(4)(ख) में ऐसे बन्दियों, जिनके विरूद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई आपराधिक मामला लम्बित हो, का दण्डादेश निलम्बन नहीं किये जाने का प्राविधान है। ऐसे सिद्धदोष बन्दियों, जिनके निरूद्ध होने के विरूद्ध कोई अपील या पुर्नविचार याचिका (रिवीजन) या पुनरीक्षण किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हो, के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड (बन्दियों का दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 लागू रहेगी तथा इसके अन्तर्गत उक्त बन्दियों का नियमानुसार दण्डादेश का निलम्बन किया जा सकेगा।
2. उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 के नियम–3(1), 7(2) एवं 7(4) में उल्लिखित मण्डलायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट से आशय उस जनपद के मण्डलायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट से है, जिसकी अधिकारिता वाली कारागार में बंदी निरूद्ध है।
3. उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 के नियम–5(2) में मण्डलायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट से आशय बंदी के गृह जनपद के मण्डलायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट से है।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या : 915/XX–4/2018–1(06)/2013, तद्दिनांक
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सरकारी गजट में प्रकाशित करते हुये इसकी 100 प्रतियां गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।